भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3989

जिसका उत्तर 18 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

28 फाल्गुन, 1941 (शक)

आधार कार्ड में त्रुटियां

3989. श्री संगम लाल गुप्ता :
श्री रविन्दर कुशवाहा :
श्री रवि किशन :
श्री सी. पी. जोशी :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि संपूर्ण देश में आधार कार्ड के लिए आवेदन करते समय/इन्हें अद्यतन करते समय आपरेट लोगों के आंकड़े प्रविष्ट/रिकॉर्ड करते समय ऑपरेटरों द्वारा त्रुटियां की जा रही है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ख) ऑपरेटरों द्वारा इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप लोगों के समक्ष किस प्रकार की कठिनाइयां आ रही हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) और **(ख)** : आधार नामांकन और अद्यतन के लिए निवासियों के आंकड़े प्रविष्ट करने की प्रक्रिया में त्रुटियां हो सकती हैं।

भारतीय विशिष्ठ पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने ऑपरेटरों को प्रशिक्षण प्रदान कर सुधारात्मक उपायों पर बल देने के साथ नामांकन केंद्र और यूआईडीआई डेटा केंद्र में मजबूत गुणवत्तापूर्ण जांच और प्रक्रिया स्थापित की है। यूआईडीएआई के दिशानिर्देश के अनुसार नामांकन/ अद्यतन के समय, नामांकन ऑपरेटर द्वारा प्रविष्ठ किए गए आंकड़ें निवासी को दिखाए जाते हैं और इसमें सुधार निवासी द्वारा बताए गए अनुसार ऑपरेटरों द्वारा किया जाता है।

यूआईडीएआई की एक नीति है, जिसके तहत नामांकन एजेंसियों को केवल सफल नामांकनों और अनिवार्य वायोमेट्रिक अद्यतनों के लिए भुगतान किया जाता है। इसके अलावा निर्धारित सीमाओं से ज्यादा गलतियां करने वाले ऑपरेटरों को बर्खास्त किया जाता है और यूआईडीएआई के रजिस्ट्रारों को वित्तीय रूप से हतोत्साहित किया जाता है।

*****